

## मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या २११/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ४५२/२०१५)

श्रीमती लक्ष्मी आदि प्रति शुऐब अख्तर आदि

१२.१२.२०२०

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में पूर्व नियत तिथि पर उपस्थित आये। ३बी प्रार्थनापत्र पर प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है। ३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती लक्ष्मी पत्नी रमेश, धर्मेन्द्र कुमार एवं अरविन्द पुत्रगण रमेश द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एफ.ए.एफ.ओ. नं. ३२०५/२०१८ रमेश कुमार बनाम सुऐब अख्तर में पारित आदेश दिनांक ३१.०७.२०१८ के अनुपालन में न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकर याचिका में दिनांक २२.१०.२०२० को पुनः निर्णय पारित किया गया है, जिस निर्णय के अनुपालन में विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी को ₹ १,००,००० अतिरिक्त एवार्ड की धनराशि मय ब्याज की जमा करनी थी, जो धनराशि ₹ १,२६,०१० विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी ने न्यायाधिकरण के सिन्डीकेट बैंक में स्थानान्तरित कर दी है, जिसका यू.टी.आर. नं. AXISP00158619430 है। अतः प्रार्थीगण ने उक्त जमाशुदा प्रतिकर की धनराशि उनके पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने की याचना की है। समर्थन में प्रार्थीगण ने ५सी२ शपथपत्र श्रीमती लक्ष्मी व अपने-अपने बैंक खाते व आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ दाखिल की गयी हैं।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद व एम.ए.सी.पी. सं. ४५२/२०१५ रमेश कुमार बनाम सुऐब अख्तर आदि एवं कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। एम.ए.सी.पी. सं. ४५२/२०१५ रमेश कुमार (दौरान मुक्तक मृतक) याची सं. १/१ श्रीमती लक्ष्मी आदि बनाम शुऐब अख्तर आदि की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एफ.ए.एफ.ओ. नं. ३२०५/२०१८ रमेश कुमार बनाम सुऐब अख्तर में पारित आदेश दिनांक ३१.०७.२०१८ के अनुपालन में न्यायाधिकरण द्वारा प्रस्तुत याचिका में पुनः दिनांक २२.१०.२०२० को निर्णय पारित किया गया है, जिस निर्णय में न्यायाधिकरण द्वारा विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी को ₹ १,००,००० मय ब्याज की धनराशि हेतु अतिरिक्त एवार्ड पारित किया है, जिसके अनुपालन में विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी द्वारा ₹ १,२६,०१० न्यायाधिकरण के सिन्डीकेट बैंक में स्थानान्तरित कर दिए हैं, जिसका यू.टी.आर. नं. AXISP00158619430 है। कार्यालय आख्या के अनुसार चेक रजिस्टर में ₹ १,२६,०१० सिन्डीकेट बैंक गोबिन्द चौराहा, झाँसी में जमा होने का इन्द्राज है। दौरान बहस प्रार्थीगण के विद्वान द्वारा अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी सं. १ लगायत २ जो कि मृतक रमेश के पुत्रगण हैं, के हिस्से की प्रतिकर की धनराशि उसकी माँ प्रार्थिया सं. १ श्रीमती लक्ष्मी जो कि मृतक रमेश की पत्नी है, एवं प्रार्थीगण सं. १ व २ की माँ है, को दे दी जाय, प्रार्थीगण सं. १ व २ ने उक्त आशय का पृष्ठांकन प्रार्थनापत्र ३बी व आदेश पत्रक पर भी किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण मृतक रमेश के वारिसान प्रतिकर याचिका में कायम हुए हैं तथा ३बी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने संयुक्त रूप से प्रतिकर की राशि दिलाए जाने की याचना की है, किन्तु प्रार्थीगण दौरान बहस इस बात पर सहमत हैं कि प्रार्थीगण सं. २ व ३ के हिस्से की धनराशि प्रार्थिया सं. १ श्रीमती लक्ष्मी को दे दी जाय तथा इस आशय का प्रार्थीगण सं. २ व ३ ने ३बी प्रार्थनापत्र व आदेश पत्रक पर भी पृष्ठांकन किया है। चूँकि प्रार्थिया सं. १ मृतक की पत्नी है तथा प्रार्थी सं. २ व ३ की माँ है। तदनुसार न्याय हित में प्रार्थिया स. १ श्रीमती लक्ष्मी प्रस्तुत प्रकरण में जमाशुदा समस्त उक्त प्रतिकर की धनराशि न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में उसके बैंक खाते में जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट स्थानान्तरित किये जाने योग्य है।

### आदेश

सिन्डीकेट बैंक/कैनरा बैंक, शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ४५२/२०१५ (प्रकीर्ण वाद सं. २११/२०२०) श्रीमती लक्ष्मी आदि बनाम शुऐब अख्तर आदि के प्रकरण में सम्पूर्ण जमाशुदा क्षतिपूर्ति धनराशि मय ब्याज प्रार्थिया सं. १ श्रीमती लक्ष्मी को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicant/petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursement	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
Smt. Lakshmi	126010	100	Elect. Mode RTGS/NEFT	94601700 095586	Sarva U.P. Gramin Bank Chirgaon, Jhansi	PUNBOS UPGB5
Total	126010	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकरण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)  
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।